

23<sup>9</sup>  
2019

निर्णय

एव उप खण्ड अधिकारी  
बिलाडा

पन्हावली आज प्रस्तुत हुई।  
दुपुलाय करीबन आरिखत।

पन्हावली का ध्यान पूर्वक  
अवलोकन एवं अवलोकन

मु.जो.

प्रशासनिक कक्षा  
बिलाडीह इण्डिया  
बिलाडीह

*AM*  
सहायक कलेक्टर  
एव उप खण्ड अधिकारी  
बिलाडा

द्विजा राजा एवं अफुलाय शंभु  
की राजी करण पर अनन  
द्विजा राजा।

प्राची प्रथम सुपरवा  
आमला प्राची के पदा में  
होना, सुदिया का अनुकूल  
प्राची के पदा में होना  
एवं अपूर्णगिरी प्राची  
का होना साक्षित करने  
के अक्षरपत्र रहा है इसलिये  
प्राची का प्रार्थनापत्र  
इसे काट कर गिराया  
जाता है।

अतः प्राची का प्रार्थना  
पत्र अन्तर्गत धारा 212  
राजस्व का अक्षरपत्र की  
अधिनियम 1955 के अक्षर  
को गिराये जाने से साक्षित  
द्विजा जाता है।

पत्रावली में माल सुभाष  
के अक्षर से माल इन्फर  
कुल राजस्व काय संख्या  
12018 निमा 28 व नाम  
जा 28 का नाम वगैरा अन्तर्गत  
धारा 53, 188 राजस्व का  
अक्षरपत्र अधिनियम 1955  
के अक्षर संलग्न है।  
निर्णय से अक्षरपत्र  
सुजाया गया।

*(Handwritten Signature)*  
(अधीन सुभाष)

सहायक कलेक्टर  
एच एच खण्ड अधिकारी  
बिलास